न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/420/2018

उनवान

1. मोहन लाल पिता लादु रेगर, निवासी तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रामा पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. काना पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. घीसा पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी तस्वारिया तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देबी लाल पिता लक्ष्मण रेगर, निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. कैलाशी पुत्री लक्ष्मण रेगर, निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. चांदी पुत्री लादु पत्नी तेजू रेगर हाल निवासी खेडी, कराटी, बांदनवाडा, तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. मगना पिता श्रवण निवासी केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील मसुदा जिला अजमेर
5. जमनी पिता मगना रेगर निवासी केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील मसुदा जिला अजमेर
6. घीसु पिता मगना रेगर निवासी केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील मसुदा जिला अजमेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 294/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी सारस्वत अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती रूपी पुत्री लक्ष्मण पत्नी चमन लाल रेगर /वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आदर्श नगर, पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा के खाता संख्या 40 की आराजी नम्बर 103 रकबा 10 बीघा , आराजी नम्बर 106 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, स्थित है। इसी प्रकार अन्य आराजी मौजा तस्वारिया पटवार हल्का तस्वारिया तहसील हुरडा के खाता संख्या 262 की आराजी नम्बर 252 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 442 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 518 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा,कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर अंकित है तथा उपरोक्त आराजियात पुश्तैनी होकर वादिया एवं प्रतिवादीगण के दादाजी व पिताजी लक्ष्मण पिता जीवण के समय की आराजियात स्थित है। उपरोक्त आराजियात में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पिता की खातेदारी की आराजियात थी परन्तु वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के दादा व पिता का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से यह नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 10.3.82 ग्राम पंचायत

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तस्वारिया ने मृतक खातेदार के वारिसानों के बारे में पूर्ण जांच किये बिना ही केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम नामान्तरकरण खोल दिया जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार का विरासत का नामान्तरकरण पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम भी खुलना चाहिये था। जिससे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 6 अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के साथ खाते में दर्ज कराने की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का सजरा निम्न प्रकार है :–

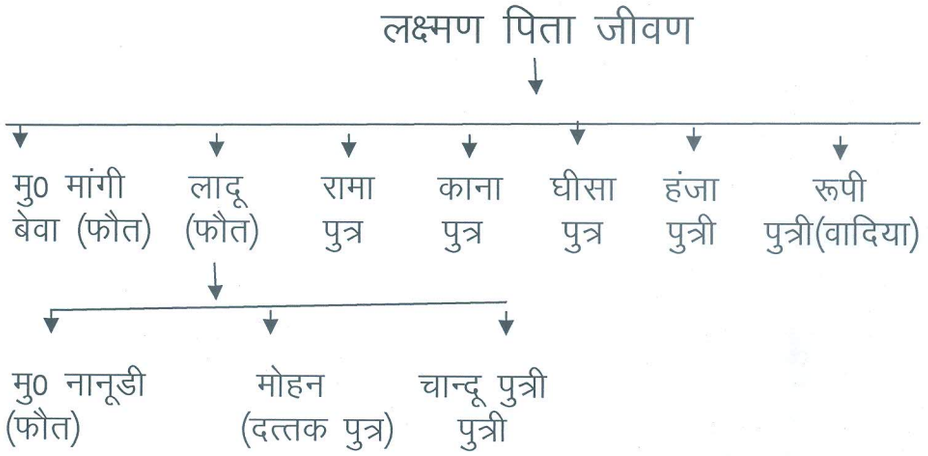

2. खातेदार लक्ष्मण पिता जीवण का स्वर्गवास हो चुका है, श्रीमती मांगी का स्वर्गवास हो चुका है, तथा लादु का स्वर्गवास हो चुका है जिससे उनके विधिक वारिसान को उक्त वाद पत्र में फरीक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने उक्त गलत एवं अवैध नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 10.3.1982 ग्राम पंचायत तस्वारिया द्वारा खोले गये नामान्तरकरण के आधार पर वादिया के कब्जेकाश्त की उक्त आराजियात में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते हैं और वादिया को जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं, मना करने पर नहीं मानकर लडाई झगडा करने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर उतारू होते हैं। यह रवैया दिनांक 15.11.2011 से जारी कर रखा है। अतः ग्राम आदर्श नगर के खाता संख्या 40 की आराजी नम्बर 103 रकबा 10 बीघा , आराजी नम्बर 106 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, एवं इसी प्रकार आराजी नम्बर नम्बर 252 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 442 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 518 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा,कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के साथ वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 6 का खाते में खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे एवं बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की पारित की जावे की वादग्रस्त आराजियात में वे स्वयं या अन्य द्वारा वादिया की उक्त आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने एवं वादिया को जबरन बेदखल करने से रूके रहें। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज कृत्य में सफल हो जाये तों पुनः उनके निजी खर्चे पर आज की स्थिति रेस्टोर की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 19.3.2019 को प्रार्थना पत्र प्रकरण में राजीनामा हो जाने से वाद पत्र खारिज करने बाबत प्रस्तुत किया । अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माफिक राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज किये जाने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश पारित करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिया रूपी का अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद निधन हो जाने से उभयपक्ष के मध्य आपसी समझाईश के तहत बहमी तौर पर राजीनामा हो जाने एवं राजीनामे के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को खारिज किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। राजीनामा बाबत अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस भी सुनी गई। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार वादिया श्रीमती रूपी पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मण पत्नि चमन लाल जाति रेगर के पक्ष में दावा डिक्री किया जाकर मौजा तसवारिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 103, 106 किता 2 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 252, 242, 518 किता 3 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदारों के साथ श्रीमती रूपी लक्ष्मण पत्नि चमन लाल रेगर निवासी तसवारिया 1/6 हिस्से की व मगना पिता श्रवण रेगर, चमनी, घीसू पिता मगना रेगर निवासी केसरपुरा को 1/6 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकार को सुनकर किये गये विधिवत निर्णय अनुसार घोषित खातेदारान के विधिक वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खातेदारी उद्घोषणा की है तथा खातेदारी अधिकारों का निरसन प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर किया जाना विधिसम्मत नहीं पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र राजीनामा इस स्तर पर ही निरस्त किया जाता है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही थी। प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण ने अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। जिन्होनें कहा कि जरूरत होगी तब बुला लेगें। दिनांक 6.8.2018 को अपीलाण्टगण अपने अधिवक्ता से मिले तब उन्होनें जानकारी कर बताया कि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 1.6.2018 को फैसल कर दिया गया है। अभी निर्णय नहीं लिखाया गया है। इस कारण अभी नकल देना संभव नही है। निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की माता रूपी देवी ने वाद प्रस्तुत कर अंकित किया किउनके पिता लक्ष्मण जी के फौत हो जाने के बाद अपीलाण्ट संख्या 1 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 2 व 4 के नाम जो नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 10.3. 1982 को ग्राम पंचायत तसवारिया द्वारा खोला गया वह प्राथमिक रूप से गलत है एवं यह वर्णित किया कि मौके पर वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की माता काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सजरे को गलत तौर पर दर्शाना बताते हुए वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की माता का कोई कब्जा मौके पर नहीं है व न ही वादग्रस्त जमीन से उनका कोई हक संबंध है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की माता ने लक्ष्मण जी की पुत्रियॉ होना बताते हुए अपने अधिकार बताये हैं। जबकि लक्ष्मण जी के निधन होने के समय वादीगण को पुत्रियों की हैसियत से कोई हक अधिकार हासिल नही होते हैं। क्योंकि वर्ष 2005 के बाद पिता का निधन होता है तो ही पुत्रियों

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को हक अधिकार हासिल हो सकते हैं। इस मामले में स्वीकृत तौर पर लक्ष्मण जी का निधन 40 वर्ष पहले हो चुका था एंव खाता अपीलाण्ट्स के नाम पर खुल चुका था। वादिया के हक अधिकार नामान्तरकरण से प्रभावित हो रहे थे तो उनके द्वारा नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की जाती । लेकिन उसमें कोई अवैधता व अनियमितता नहीं होने के कारण उसकी अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार के तथ्य माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के उपरान्त भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की और से काई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद वादीगण का वाद गलत तौर पर डिक्री किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादिया रूपी ससुराल जाने के पश्चात उसके पिता का निधन हुआ है। अर्थात वादिया 40 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं है। स्वयं वादिया ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजियात पर विगत 40 वर्षो से उसका व उसकी बहन का कब्जाकाश्त नहीं है। इस प्रकार कानूनन कब्जे के अभाव में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होते हुए भी वादिया का वाद पत्र स्वीकार करने में भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद पत्र मनमकसूद तौर पर डिक्री करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। साथ ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बरवक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किये जाने में सहमति व्यक्त की ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारण किया है जबकि उभयपक्ष के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.9.2017 को प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत था। उसके उपरान्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थीं । दिनांक 9.4.2018 को प्रकरण में आगामी तारखी पेशी दिनांक 9.4.2018 नियत की गई थी। उसके उपरान्त प्रकरण में कोई आदेशिका नियत तारीख पेशी दिनांक 9.4.2018 को नहीं लिखी गई। सीधे ही प्रकरण को दिनांक 1.6.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा जाकर प्रकरण का निस्तारण किया । प्रकरण को दिनांक 1.6.2018 को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में रखे जाने से

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पूर्व उभयक्ष को कैम्प कोर्ट मे उपस्थित होने बाबत कोई सूचना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। जबकि प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र द्वारा सूचित किया जाना अनिवार्य था। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में लंबित चल रहा था। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय वं डिक्री पारित की गई है। प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था। मूल वाद के विचारण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत के आधार पर पक्षकारान के हक हितों का अंतिम तौर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने में सहमति व्यक्त की है। चूंकि मूल वाद में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 1.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाता है उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30/9/19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 19.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा